112

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1876-दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-8-06 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक257/2005-2006/अपील.

भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ सुनार
निवासी कस्बा बड़ौदा तहसील
एवं जिला श्योपुर ---- आवेदक

विरूद्ध

अमरा पुत्र किशना मीना
निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील
एवं जिला श्योपुर म0प्र0 ---- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता एस. के. वाजपेई.
अनावेदक - एकपक्षीय.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 20 जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 257/2005-06/अपील में पारित आदेश दिनांक 10-8-2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम प्रेमपुरा स्थित विवादित भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी अनावेदक अमरा है । आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 115, 116 के तहत आवेदन पेश कर इन्द्राज दुरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया । उक्त आवेदन पर से विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 6-7-2000 द्वारा विवादित भूमि पर संहिता की धारा 115, 116 एवं 121 के उप नियम

7 व 9 के प्रावधानों के तहत आवेदक का कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया । इस आदेश से व्यथित होकर अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 29-12-03 द्वारा स्वीकार की एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्ति तकिया कि आर.बी.सी. के प्रावधानों के तहत कब्जा निर्धारण की कार्यवाही उभयपक्षों को सुनकर की जाये । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरसत की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिकार्ड के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय है ।

5/ अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण कब्जा दर्ज करने के संबंध में है । इस प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अभिलेख के आधार पर यह पाया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक जो कि अभिलिखित भूमिस्वामी को कोई सूचनापत्र जारी नहीं किया गया और जो नोटिस जारी किया गया था वह उस पर निर्वाह नहीं कराया गया और जब नोटिस का निर्वाह ही नहीं हुआ तब उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित करना विधिसम्मत नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय की कार्यवाही को अवैध मानते हुए उसे निरस्त करने में कोई न्यायिक त्रुटि नहीं की है और ना ही कोई अवैधानिकता अधीनस्थ न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में की है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर